9/11/17 प्रार्थी रामपाल की प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र पेश कर अपना वाद स्थगित करना किया है। स्थानीय इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्थगित किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नस्ती से कम हो तथा वाद एकतरफा संज्ञान वाद हो।

रामपाल
I
9/11/17

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner